

डिक्री मुकदमा इन्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जब्ता दीवानी)

राज्य अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठाधीन अधिकारी ऋषभ मंडल (आई.ए.एस) सहायक कलक्टर, कोटपूतली

श्री राम पुत्र श्री सोहन, जाति गुर्जर निवासी ढाणी रावता वाली, ग्राम पूतली, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर, राजस्थान।

----- वादी

बनाम

1. हरफूल पुत्र सोहन

2. हरदानसिंह पुत्र सोहन

समस्त जातियान गुर्जर निवासी ढाणी रावता वाली, ग्राम पूतली, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर, राजस्थान।

3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।

----- प्रतिवादीगण

### दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वाद पत्र संख्या - 117/2021


यह मुकदमा आज बारते इनफिसाल कर्तई रूबरू व हाजरी वकील वादी व वादीगण स्वयं भिनजानिब मुहई रूबरू की अनुपरिस्थिति में पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि आराजी खसरा नम्बर 812/4/0.2988 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2988 हेक्टेयर वाकै ग्राम पूतली तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है साथ ही जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त आराजी में प्रतिवादीगण, वादी के हिस्से की आराजी के कब्जा काश्त, उपयोग उपयोग में किसी प्रकार की मजाहमत या दखलंदाजी पैदा नहीं करे। कुर्रैजात रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगी एवं निर्णय के साथ पढी जावेगी। निज.....मुबलिग.....

बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद वशरह.....

.....फीसदी सालाना आज तारीख से तारीख अदायगी तक.....

का अदा करे।

बसखत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13<sup>6</sup>/<sub>2</sub> मजमेआम को जारी की गई।

  
सहायक कलक्टर  
कोटपूतली/जयपुर